[1989] 2 उम० नि० प० 1009

रघुनाथ ठाकुर

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

8 नवंबर, 1988

न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी और एस० रंगनाथन

प्रशासनिक विधि—नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत—सरकारी संविदा—ठेकेदार को काली सूची में तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

कलक्टर के आदेश में लिखा है कि अपीलार्थी ने बोली के बाद बोली की रकम जमा नहीं की, अतः उसका नाम भविष्य के लिए काली सूची में रख दिया गया। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं दी गई थी। कलक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित—विधिसम्मत शासन का यह विवक्षित सिद्धांत है कि सिविल परिणाम रखने वाला कोई भी आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए। यह समझना होगा कि कारबार उद्यमों की बाबत किसी व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करने से हर दशा में संबंधित व्यक्ति के भावी कारबार के लिए सिविल परिणाम निकलता है। यदि नियमों में ऐसी अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है तो नैसर्गिक न्याय का यह प्रारंभिक सिद्धांत है कि किसी आदेश से प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने और उस आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार होना चाहिए। विषय की इस दृष्टि से, आदेश का अंतिम भाग, जिसमें कि अपीलार्थी को भावी संविदाओं की बाबत ब्लैक लिस्ट करने का निदेश दिया गया है, विधि की दृष्ठि में मान्य नहीं हो सकता। सारांश यह है कि आदेश के जिस भाग में यह निदेश दिया गया है कि अपीलार्थी को कलक्टर के अधीन भावी संविदाओं की बाबत ब्लैक लिस्ट करे, अपास्त किया गया। (पैरा 4)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1988 की सिविल अपील सं० 4031.

1988(11) eILR(PAT) SC 1

1988 के सिविल रिट अधिकारिता मामला सं० 1923 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 14-4-1988 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध सिविल अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आर० के० जैन, आर० पी० सिंह और वाई० डी० चंद्रचूड़

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री यू० एस० प्रसाद

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी ने दिया ।

न्या० मुखर्जी—विशेष इजाजत दी गई ।

2. कलक्टर के तारीख 25 मार्च, 1988 के आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है । वह आदेश इस प्रकार है—

"श्री रघुनाथ ठाकुर पुत्र स्वर्गीय गोरख ठाकुर, निवासी रैंपुरा, थाना पुक्शा, जिला समस्तीपुर ने 27-3-88 को आयोजित बेनी देसी शराब की दुकान नीलामी में 11,900 (ग्यारह हजार नौ सौ रुपए केवल) प्रतिमास की बोली लगाई थी और उसे बेनी देसी शराब की दुकान दे दी गई थी किंतु बंदोबस्ती रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद उसने डाक रकम जमा नहीं की ।

अतः श्री रघु नाथ ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री गोरख नाथ निवासी रैंपुरा, थाना पुक्शा, जिला समस्तीपुर का नाम समस्तीपुर के कलक्टर द्वारा पारित आदेशानुसार भविष्य के लिए काली सूची में रखा जाता है ।"

3. वह आदेश कलक्टर के आदेश के अनुसरण में पारित किया गया था । 25 मार्च, 1988 के पत्र में यह लिखा गया था—

"उक्त कार्यालय टिप्पण का परिशीलन करने के बाद जिले के कलक्टर ने 25-3-88 को आदेश पारित किया जो अक्षरशः नीचे दिया गया है—

फर्स्ट बिड्डर चूंकि डिफाल्टर है अतः सिक्योरिटी प्राप्त कर लें तथा भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट करें ।"

4. निर्विवाद रूप से अपीलार्थी को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं दी गई थी । दलील दी गई कि नियमानुसार किसी व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करने से पहले सूचना देना आवश्यक नहीं था । जहां तक इस दलील का संबंध है कि सूचना देने की कोई विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा नहीं है, प्रत्यर्थी सही है । किंतु विधिसम्मत शासन का यह विवक्षित सिद्धांत है कि सिविल परिणाम रखने वाला कोई भी आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए । यह समझना होगा कि कारबार उद्यमों की बाबत किसी व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करने से हर दशा में संबंधित व्यक्ति के भावी कारबार के लिए सिविल परिणाम निकलता है । यदि नियमों में ऐसा अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है तो नैसर्गिक न्याय का यह प्रारंभिक सिद्धांत है कि किसी आदेश से प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने और उस आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार होना चाहिए । विषय की इस दृष्टि से, आदेश का अंतिम भाग, जिसमें कि अपीलार्थी को भावी संविदाओं की बाबत ब्लैक लिस्ट करने का निदेश दिया गया है, विधि की दृष्टि में

1988(11) eILR(PAT) SC 1

मान्य नहीं हो सकता। सारांश यह है कि आदेश के जिस भाग में यह निदेश दिया गया है कि अपीलार्थी को कलक्टर के अधीन भावी संविदाओं की बाबत ब्लैक लिस्ट करें, अपास्त किया जाता है। जहां तक अपीलार्थी की बोली को रद्द करने का संबंध है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इस आदेश से राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी अपीलार्थी को काली सूची में डालने के लिए भविष्य में कोई कदम उठाने से निवारित नहीं होंगे यदि सरकार विधि के अनुसार ऐसा करने के लिए हकदार है अर्थात् वह अपीलार्थी को सम्यक् सूचना और अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान कर देती है। अपीलार्थी की सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें उसके कारण भी बताए जाएंगे। किंतु हम यह पूरी तरह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपीलार्थी के खिलाफ जो अभिकथन किए गए हैं, वे सही हैं या नहीं, इस बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील का तदनुसार निपटारा किया गया।

कृ०